—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 30/2023

उनवान

नजीब हसन पुत्र अब्दुल मजीद जाति मुसलमान निवासी ग्राम 1527/3 हवाचक्की मौहल्ला, नसीराबाद

—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र छगना
2. तारा पत्नी रामस्वरूप समस्त जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 व 2 जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली
3 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 18/3/25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 332 रकबा 0.0510 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है जिस पर प्रार्थी काबिज चला आ रहा है। उक्त खातेदारी आराजी के दक्षिण दिशा में हाल खसरा नम्बर 334/1306 सिवायचक भूमि स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा बिना किसी अधिकार के उक्त खसरा नम्बर पर दिनांक 02.03.2023 को अवैध निर्माण कार्य चालू करते हुये कब्जा करने के आशय से नीवं खोद कर कब्जा करने की धमकी दी। साथ ही प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 332 रकबा 0.08 में से भूमि वाणिज्यिक रूपान्तरण की गयी है। उक्त आराजी में से राजमार्ग के नाम भूमि अवाप्त की गयी है। प्रार्थी ने सम्पूर्ण रकबे पर दुकाने बना कर बेचान कर दिया है। प्रार्थी का कोई हक व अधिकार शेष नही रहा है। खसरा नम्बर 334/1306 सिवायचक है। उक्त आराजी पर जवाबकर्ता पूर्वजो के समय से मकान बना कर निवास कर रहे है। अप्रार्थीगण ने नल व विधुत कनेक्शन भी लिया हुआ है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को उक्त आराजी से बेदखल करने के आशय से प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान [illegible] प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है।

प्रथम दृष्टया मामला :—

बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 332 रकबा 0.051[illegible] आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:00:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त खातेदारी आराजी के दक्षिण दिशा में हाल खसरा नम्बर 334/1306 सिवायचक भूमि स्थित है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण सिवासचक आराजी व उसकी खातेदारी आराजी पर दखलदांजी कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कथन है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी का संपरिवर्तन कराके दुकाने का बेचान कर दिया हे उसकी खातेदारी आराजी में से राजमार्ग द्वारा भूमि अवाप्त की जा चुकी है। प्रार्थी के पास कोई भूमि शेष नही है। किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार हाल खसरा नम्बर 332 रकबा 0.0510 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई राजस्व अभिलेख सपंरिवर्तन आदेश, अवाप्ति आदेश पेश नही किया है जिससे सिद्व होता हो कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी का कोई रकबा शेष नही है। अप्रार्थीगण का कथन है कि सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 334/1306 पर उसका पूर्वजों के समय से काबिज है। किन्तु खसरा नम्बर 334/1306 राजस्व अभिलेख में सिवायचक है। उक्त आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थी का कोई हक व अधिकार नही है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा है तो अवैधानिक है व अतिकमण की क्षेणी में आता है। खसरा नम्बर 332 रकबा 0.0510 की आराजी पर अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थी उक्त आराजी का खातेदार है। उक्त खसरा नम्बर की आराजी पर प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में हाल खसरा नम्बर 332 रकबा 0.0510 प्रार्थी की खातेदारी का है। उक्तज आराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा दखलदांजी करने से मौके पर वाद बहुलता ही होगी। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 332 रकबा 0.0510 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता हें कि आराजी मुतनाजा के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:00:10 IST
Reason: SelfAttested